संख्या-20/2017/1058/84-1-17-18बामा/2012टी.सी.

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 21 अगस्त, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-706/निविमावि-लेखा 7(25)मॉग/2017-18, दिनॉक 17-08-2017 एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनॉक 03 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार के आदेश संख्या-0-11011/38/2011-सी डब्लू एफ/सी0पी0यू0, दिनांक 08.10.2015 द्वारा रू0 43,13,232/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-14/2016/950/84-1-15-18बामा/2012टी0सी0, दिनांक 06.04.2016 द्वारा रू0 27,24,000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी एवं रू0 15,89,000/- की धनराशि वित्त विभाग को समर्पित की गयी थी। उक्त अवेशष धनराशि के सापेक्ष राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रू0 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) को निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

1- धनराशि का उपयोग स्वीकति मद में वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों/स्थायी आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- प्राविधानित धनराशि का उपयोग उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-3475- अन्य समान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनॉक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-20 /2017/1058/84-1-17-18बामा/2012टीसी तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार ((लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग खाद्य एवं रसद विभाग
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in